


न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

सी०सी०ए० वाद संख्या- 08/2018

राज्य बनाम ब्रजेश यादव

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
19.09.2018	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3577/गो०, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी ब्रजेश यादव, पे० संबोध यादव, साकिन शिशवा थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>उनके विरुद्ध कुल 12 (बारह) अपराधिक मुकदमें उल्लेखित हैं, जो निम्नांकित हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गोगरी थाना कांड संख्या-224/2000 दिनांक 29.10.2000 धारा 307/353/379/411/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए /26/27/35 शस्त्र अधिनियम। 2. गोगरी थाना कांड संख्या-273/2003 दिनांक 26.11.2003 धारा-394 भा०द०वि० परिवर्तित धारा-395/412 भा०द०वि०। 3. गोगरी कांड संख्या 22/2004, दिनांक 05.04.2004 धारा-392/411 भा०द०वि०। 4. गोगरी कांड संख्या 30/2011, दिनांक 11.02.2011 धारा-147/148/149/447/448/341/323/427/504/506/307 भा०द०वि०। 5. गोगरी कांड संख्या 97/2011, दिनांक 30.06.2011 धारा-147/148/149/447/448/341/427/504/506/307 भा०द०वि०। 6. गोगरी कांड संख्या 126/2012, दिनांक 03.07.2012 धारा 147/148/149/341/323/387/447/307/504 भा०द०वि० एवं आर्म्स एक्ट एवं 3/4 मणी लैन्डिंग एक्ट। 7. गोगरी कांड संख्या 98/2015, दिनांक 10.03.2015 धारा 385/427/504/506/34 भा०द०वि०। 8. गोगरी कांड संख्या 121/2015, दिनांक 20.03.2015 धारा 314/323/427/448/354/34 भा०द०वि०। 9. गोगरी कांड संख्या 167/2015, दिनांक 04.05.2015 धारा 324/307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 10. गोगरी कांड संख्या 305/2015, दिनांक 19.11.2015 धारा 147/148/149/385/435/504/506 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 11. गोगरी कांड संख्या 47/2016, दिनांक 15.03.2016 धारा 147/149/323/325/341/188/307/353/504/506 भा०द०वि०। 12. गोगरी कांड संख्या 162/2016, दिनांक 17.10.2016 धारा 	

for
803.
24/9/18


आदेश का क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर क कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख-सहित 3.
	<p>147 / 149 / 323 / 325 / 341 / 188 / 307 / 353 / 504 / 506 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।</p> <p>ये भारतीय दण्ड विधान एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। ये जबसे जेल से छुटकर आए है तब से अपने पुराने काण्ड के गवाहों को तंग तवाह कर रहे है जिससे इलाके का माहौल भयपूर्ण है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखते हुए कारण-पृच्छा भी प्रस्तुत किये। समर्पित कारण-पुच्छा का अवलोकन किया गया, कारण-पृच्छा स्वीकार्य नहीं है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर विशेष लोक उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए अपराधकर्मी को निरुद्ध करना नितान्त आवश्यक बताया।</p> <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त ब्रजेश कुमार आज न्यायालय में उपस्थित हुए है। दुर्गापूजा / मुहर्म्म / दीपावली / छठ ऐसे त्यौहार के मद्देनजर इलाके में लोक परिशांति कायम करने हेतु आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।</p> <p>प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है एवं दुर्गापूजा / मुहर्म्म / दीपावली / छठ ऐसे त्यौहार दौरान इनके द्वारा लोक परिशांति को भंग अथवा प्रभावित किया जा सकता है।</p> <p>अतः मैं अनिरुद्ध कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया आदेश देता हूँ कि अपराधकर्मी ब्रजेश यादव दिनांक 20.09.2018 से लेकर दिनांक 16.11.2018 तक प्रतिदिन 10:00 बजे अलौली थाना परिसर में थाना प्रभारी, अलौली के समक्ष सदेह उपस्थित होंगे। आदेश से थानाध्यक्ष गोगरी/अलौली को तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/खगड़िया को संसूचित कर दें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया</p>  <p>जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया</p>	

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख-सहित
03.

ज्ञापांक.....1521...../विधि, दिनांक.....20-9-18
प्रतिलिपि:-ब्रजेश यादव, पे० सुबोध यादव, थाना गोगरी, जिला
खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
गोगरी/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-थानाध्यक्ष, गोगरी/अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा
की जाय।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
10/10/18

अनुमंडल पुलिस अधीक्षक,
गोगरी-खगड़िया।

✓

—